

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाडा

मीठासीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

फदमा संख्या :- 130/2024 ज्ञा० पत्र

1. ~~चन्द्रपाल सिंह~~ 56 बगुआमसिंह गज्जट जे० बी. 47-8 नन्दकिशोर पावेल मार्ग
पटवार बगुआमसिंह-सह० एवं विला 47/1/1 (शम०)

1. ~~पद्मसुखा~~ 36 नैसर्कतेजा जे० बी. 8/1/1 गज्जट-सह० क्रौडा-सह०

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12/6/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत
वेदन किया कि ग्राम ~~गज्जट~~ पटवार हल्का ~~बितुडा~~ तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त
की खाता संख्या 34 आराजी नम्बर 3593/1, 3593/2, 3594, 3595/1, 3595/2, 3596,
3597/1, 3598/1, 3599, 3601/1, 3601/2,

कुलकिता 11 रकबा 3:37:66 हैक्टयर भूमि
वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन
बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की
ते के आदेश प्रदान कराये जावे।

स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/4/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
गार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी
अदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते
कि की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::


र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम
~~गज्जट~~ पटवार हल्का ~~बितुडा~~ तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या
नी नम्बर 3593/1, 3593/2, 3594, 3595/1, 3595/2, 3596, 3597/1, 3598/1, 3599,
/1, 3601/2,

कुलकिता 11 रकबा 3:37:66 हैक्टयर भूमि
रफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक
को 1050/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर
गण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व
प्रथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल
पर पत्थरगढी नही की जावे।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा

तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार
नी जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाडा